न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्या : 15/401

भंवर लाल आयु 55 वर्ष आत्मज हीरालाल जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कंवर लाल आयु 52 वर्ष आत्मज हीरा लाल जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 25.04.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 कंवर लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत सीलोर तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 495 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वाद वादी काफी समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी की नियत में अन्तर आ गया है और वह उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।
3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर न तो स्वयं कब्जे करे और नहीं अपने किसी प्रतिनिधि से करावे और न ही वादी को उक्त भूमि से बेदखल करे ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एंव डिक्री पारित की ।
5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण तनकीयात हेतु जैरकार था सिजमें अभी तनकीयात भी कायम नहीं हुई हैं । माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावे में तनकीयात कायम नही करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के बिना ही उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से निर्णित कर दिया । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं जवाबदेही आदि का अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 11.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा